Family Pension Scheme for Industrial Workers

***271. Shri Ramachandra Ulaka:**
Shri Dhuleshwar Meena:

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether the family pension scheme for industrial workers has been finally prepared;

(b) if so, the details thereof: and

(c) the categories of persons which will be benefited by this scheme?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri L. N. Mishra): (a) to (c). The report of the Working Group which is considering the matter is still awaited and the details are yet to be worked out.

Committee of Review of Rehabilitation

***272. Shrimati Jyotsna Chanda:** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether the Committee of Review of Rehabilitation has submitted its report;

(b) if so, the nature of the recommendations made therein; and

(c) if not, when it will be submitted?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri L. N. Mishra): (a) No, Sir. The Committee was set up in January, 1967, but has not so far been able to commence its work.

(b) Does not arise.

(c) In the Resolution constituting the Committee, it has been asked to submit its report "as early as practicable".

महानगर परिषद् दिल्ली

***273. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री बलराज मधोक :
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली महानगर परिषद् में पांच सदस्यों के नाम-निर्देशन के लिये केन्द्रीय सरकार ने बहुमत-प्राप्त दल की सलाह को नहीं माना ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने अन्तरिम महानगर परिषद् में सदस्यों को नामनिर्देशित करने में कांग्रेस दल की सलाह को माना था ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सदस्यों के नाम-निर्देशन के लिये कोई विशेष सिद्धांत बनाये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग). उपराज्यपाल द्वारा सरकार को नामनिर्देशनों के सम्बन्ध में सिफारिशें दिये जाने से पहले महानगर परिषद् में बहुमत-प्राप्त दल के नेता ने उपराज्यपाल को कुछ सुझाव दिये थे। अंतरिम महानगर परिषद् में नामनिर्देशन के लिये सरकार को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति, संसद् सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा अनेक परामर्श दिये गये थे। ये नाम-निर्देशन करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार का है और उसके लिये महानगर परिषद में बहुमत-प्राप्त दल से परामर्श करना या उसकी सलाह मानना जरूरी नहीं है। ये नामनिर्देशन विभिन्न हितों को उचित प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता के अनुसार किये जाते हैं और ऐसा करते समय इन परामर्शों पर यथोचित ध्यान दिया जाता है।